प्रेस विज्ञप्ति

(दि0–14.10.2020)

- **पिपराही थाना अन्तर्गत कमरौली ग्राम में घटित डकैती कांड का हुआ उद्भेदन, लूटे गए समान के साथ अपराधकर्मी गिरफ्तार।**
- **दर्ज कांड पिपराही थाना कांड सं0–230/2020, दिनांक–11.10.2020, धारा–395/397 भा0द0वि0 का उद्भेदन एवं 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटी गई रूपया एवं जेवर बरामद।**

दिनांक–10/11.10.2020 के रात्रि करीब 12:00–01:00 बजे पिपराही थाना के ग्राम कमरौली में सुरेन्द साह पे0 रामचन्द्र साह के घर में 08–10 अज्ञात अपराधकर्मी हथियार से लैस होकर घुस गए और घर में रखा नगद करीब 70, 000/– (सत्तर हजार) रूपया एवं घर के महिलाओं का जेवर लूट कर साथ ले गए। गृह स्वामी सुरेन्द्र साह के विरोध करने पर अपराधकर्मियों के द्वारा उनके साथ लाठी डंडा से मारपीट भी किया गया था।

इस कांड के उद्भेदन एवं लूटी गई राशि/जेवर की बरामदगी/अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, शिवहर के द्वारा श्री राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, शिवहर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसमें पु0नि0 अशोक कुमार राय (प्रभारी तकनीकी शाखा), पु0नि0 शोभाकान्त पासवान, थानाध्यक्ष, तरियानी थाना, पु0अ0नि0 सैफ अहमद खान, थानाध्यक्ष, तरियानी छपरा, थाना, पु0अ0नि0 राज कौशल, थानाध्यक्ष, हिरम्मा थाना, पु0अ0नि0 विजय कुमार यादव, थानाध्यक्ष, श्यामपुर भटहाँ थाना, पु0अ0नि0 मुन्ना कुमार गुप्ता, थानाध्यक्ष, पुरनहिया थाना, पु0अ0नि0 अवधेश कुमार, थानाध्यक्ष, पिपराही थाना, पु0अ0नि0 सुरज कुमार गुप्ता (अनुसंधानकर्ता) एवं तकनीकी शाखा के कर्मी शामिल थे।

विशेष अनुसंधान दल के द्वारा आसूचना संग्रह एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में संलिप्त अपराधकर्मियों को चिन्हित करते हुए कई टीम बनाकर एक साथ सीतामढ़ी, शिवहर एवं मोतिहारी जिला में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। घटना में सामिल तीन अपराधकर्मी 1.मो0 आलमगीर उर्फ माईकल पे0 मो0 हबीब, राघोपुर बखरी, थाना पुनौरा, जिला सीतामढ़ी, वर्तमान पता (ससुराल) सा0 कस्तुरिया, थाना तरियानी, जिला शिवहर, 2.रघुवीर पासवान, पे0 बच्चु पासवान, सा0 सुरगाही, थाना तरियानी, जिला शिवहर एवं 3.दरभंगी सहनी, पे0 स्व0 जगदीश सहनी, सा0 सुगापीपर, थाना पताही, जिला पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूटी गई राशि एवं जेवर बरामद किया गया।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का गृह डकैती के कांडों का काफी पुराना अपराधिक इतिहास है तथा ये बिहार के कई जिलों में जाकर अपने गिरोह के साथ डकैती की घटना को अंजाम देते है। घटना में शामिल अन्य सभी अपराधियों का भी पता लग चुका है तथा गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है।

48 घंटे के अन्दर घटना के सफल उदभेदन एवं अपराधकर्मियों को गिरपतार करने हेतु एस0आई0टी0 में सामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी विवरणी	गिरफ्तार अपराधियों का अब तक प्राप्त अपराधिक इतिहास
i. कुल गिरफ्तारी–03 ii. बरामदगी– • चाँदी का एक ब्रासलेट • चाँदी का कुल 11(ग्यारह) अदद छोटा लॉक • सोना का एक हनुमानी लॉकेट, लाल धागा में लगा हुआ • चाँदी का चार जोड़ा पायल पुराना • चाँदी का टुटा हुआ एक जोड़ी पहुँची पुराना। • लोहा का एक छोटा चाकू • मोबाईल–01 • नगद–8,500/– (आठ हजार पाँच सौ) रूपया	<u>दरभंगी सहनी, पे0 स्व0 जगदीष सहनी, सा0 सुगा पिपर, थाना पताही, जिला पूर्वी चम्पारण का अपराधिक इतिहासः–</u> 01. शिवहर थाना कांड सं0–41/10, दि0–25.03.10 धारा–395 भा0द0वि0 02. शिवहर थाना कांड सं0–80/11, दि0–26.05.11 धारा–395/397 भा0द0वि0 03. तरियानी थाना कांड सं0–118/11, दि0–31.10.11 धारा–395 भा0द0वि0 04. तरियानी थाना कांड सं0–19/11, दि0–03.03.11 धारा–395 भा0द0वि0 05. तरियानी थाना कांड सं0–70/01, दि0–14.06.01 धारा–395 भा0द0वि0 06. श्यामपुर भटहाँ थाना कांड सं0–15/11, दि0–31.03.11 धारा–395 भा0द0वि0 07. पिपराही थाना कांड सं0–25/11, दि0–27.03.11 धारा–395 भा0द0वि0 08. पिपराही थाना कांड सं0–03/12, दि0–14.01.12 धारा–25(1–बी)ए/26 आर्म्स एक्ट 09. पताही थाना कांड सं0–72/88, दिनांक–12.12.88, धारा–399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1–बी)ए/ 26 शस्त्र अधि0 10. पताही थाना कांड सं0 –19/92, दिनांक–07.07.92, धारा–342/324/364/307/379/34 भा0द0वि0 11. कण्डवा चैनपुर थाना कांड सं0–05/89, धारा–302/307/34 भा0द0वि0 <u>मो0 आलमगीर उर्फ माईकल, पे0 मो0 हबीब, सा0 राघोपुर बखरी, थाना पुनौरा, जिला सीतामढ़ी, वर्तमान पता (ससुराल) सा0 कस्तुरिया, थाना तरियानी, जिला शिवहर का अपराधिक इतिहास</u> :– 01. तरियानी थाना कांड सं0–164/17, दि0–06.10.17 धारा–25(1–बी)ए/26 आर्म्स एक्ट 02. तरियानी थाना कांड सं0–199/17, दि0–08.12.17 धारा–379 भा0द0वि0 <u>रघुवीर पासवान, पे0 बच्चु पासवान, सा0 सुरगाही, थाना तरियानी, जिला शिवहर का अपराधिक इतिहास :–</u> 01. तरियानी थाना कांड सं0–01/11, दि0–12.01.11 धारा–379/411 भा0द0वि0

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

SUPERINTENDENT OF POLICE, SHEOHAR
SUCCESSION BOARD
SANTOSH KUMAR I.P.S.

AI QUAD CAMERA
Shot on realme 5